

झारखण्ड सरकार,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
अधिसूचना

संचिका संख्या-7/पर्या0प्रदू0-09/2016-4404 व0प0 राँची, दिनांक-24-10-2017

झारखण्ड काष्ठ तथा अन्य वन उत्पाद (अभिवहन का विनियमन) नियमावली, 2004 के आलोक में Easy of Doing Business के तहत Tree Felling एवं Transit Permit निर्गत करने की offline प्रक्रिया को बंद करते हुए On-line प्रक्रिया के तहत ही इस नियमावली के तहत वृक्षों के पातन एवं परिवहन अनुज्ञा पत्र निर्गत करने की कार्रवाई की जायेगी।

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू मानी जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


(आलोक कुमार) 24/10/2017

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- संख्या-7/पर्या0प्रदू0-09/2016-4404 व0प0, राँची, दिनांक-24-10-2017

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि वे इस अधिसूचना की 500 प्रतियां विभाग को शीघ्र उपलब्ध करायें।



सरकार के उप सचिव 24/10/2017

ज्ञापांक- संख्या 7/पर्या0प्रदू0-09/2016-4404 व0प0, राँची, दिनांक-24-10-2017

प्रतिलिपि- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी-सह-मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची /सभी मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ सभी वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची / सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के उप सचिव 24/10/2017